



कार्यालय-नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी ।

पत्रांक-673/न0आ0-एस0टी0/2025-26, दिनांक-24 अक्टूबर, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्रांक-11016/नौ-5-2021-162सा/2019, दिनांक-20.10.2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 संलग्न करते हुए इसके कठोर अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. अध्याय-11 (स्थलीय जुर्माना एवं दंड प्रावधान)

- ठोस अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन पर स्थलीय जुर्माना, शुल्क व दंड निर्धारित ।
- खनिज उत्पादन, भंडारण एवं उत्खनन हेतु लाइसेंस, परमिट, अनुमति अनिवार्य ।
- बिना अनुमति खनिज निकालना या संग्रहण गैरकानूनी होगा, उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई, दंड व क्षतिपूर्ति अनिवार्य ।

2. अध्याय-12 (विभागीय समन्वय)

- अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु विभिन्न विभागों, अधिकारियों एवं प्रशासनिक इकाइयों के सहयोग की आवश्यकता एवं सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्यवाही करनी होगी ।

3. अनुसूची-1 (अपशिष्टों का वर्गीकरण)

अपशिष्टों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

- निषिद्ध पदार्थ- खैनी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू आदि ।
- खाद्य व कृषि उत्पाद- अनाज, फल, सब्जियाँ, दूध, मछली, चाय, कॉफी, चीनी ।
- पेय पदार्थ- जल, मिनरल वाटर, सोडा, मद्यपेय ।
- ईंधन व ऊर्जा- लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली ।
- औद्योगिक उत्पाद- लोहा-स्टील, मशीनरी, वाहन पुर्जे, रसायन ।
- औषधियाँ व चिकित्सीय सामग्री- दवाइयाँ, उपकरण, अस्पताल सेवाएँ ।
- अन्य आवश्यक वस्तुएँ- कपड़ा, साबुन, डिटर्जेंट, किताबें, समाचार पत्र ।
- औद्योगिक अपशिष्ट- रसायन, धातु, रेडियोधर्मी तत्व ।
- रासायनिक अपशिष्ट- हानिकारक रसायन, दवाइयाँ, कीटनाशक ।
- ठोस अपशिष्ट- घरेलू व औद्योगिक कचरा ।
- घरेलू व आवासीय अपशिष्ट- घरेलू कचरा, मलमूत्र ।
- जैविक अपशिष्ट- पौधों/प्राणियों के अपघटन से उत्पन्न ।
- प्लास्टिक अपशिष्ट- बोतलें, थैलियाँ आदि ।
- खाद्य अपशिष्ट- बचा भोजन, छिलके आदि ।
- अजैविक अपशिष्ट- पत्थर, कांच, धातु ।
- नए अपशिष्ट- नई गतिविधियों से उत्पन्न ।
- पूजा सामग्री- जैव-नाशित/अनाशित सामग्री, मूर्ति-पूजन अवशेष ।

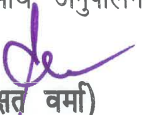
- पुनचक्रीय अपशिष्ट- रीसाइक्लिंग योग्य ।
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट ।
- मृत पशु अपशिष्ट ।
- वधशाला/मांस/चिकन अपशिष्ट ।
- ई-अपशिष्ट ।

4. अनुसूची-2 (अपराध/उल्लंघन पर दंड)

- श्रेणीवार अपराधों को परिभाषित करते हुए दंड, स्थलीय जुर्माना व शुल्क निर्धारित ।
- प्रत्येक उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माना और कार्रवाई का प्रावधान ।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये अनुसूची-1, अनुसूची-2, अध्याय-11 व अध्याय-12 का गहनतापूर्वक अध्ययन करते हुये दिये गये नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा । इसे आदेश का सर्वसम्बन्धित द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।


 (अक्षत वर्मा)
 नगर आयुक्त

पत्रांक व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि:-

1. मा0 महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ ।
2. प्रभारी अधिकारी (स्वास्थ्य/पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग), वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ।
3. प्रभारी अधिकारी (फार्म), वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि दिये गये विवरण के अनुसार नये प्रपत्र/Form को छपवाकर सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे ।
4. मुख्य अभियंता, वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ।
5. महाप्रबंधक, जलकल विभाग, वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ।
6. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ।
7. जोनल स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ।
8. पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग, वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ।
9. समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, वाराणसी नगर निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप ही कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. आदेश पुस्तिका ।


 (अक्षत वर्मा)
 नगर आयुक्त

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 5-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6-अपर मिशन निदेशक (एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 7-निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 8-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 20 अक्टूबर, 2021

विषय: उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 का प्रख्यापन।

महोदय,

(Sum Rules, 2016)

अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम अधिसूचित किया गया है, जिसके नियम-15(ड) में यह प्राविधानित है कि निकायों द्वारा उपरोक्त नियमावली के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुए उसके अनुरूप उपविधि बनाकर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। परन्तु प्रदेश के अधिकांश निकायों में उपरोक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुरूप समुचित प्रकार से उपविधि लागू नहीं किये जाने के कारण निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं स्वच्छता हेतु किये जाने वाले कार्यों के विषयगत आशानुरूप कार्य न होने के कारण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रभावित होता है।

2- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं स्वच्छता को निकाय स्तर पर प्रभावी रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 तथा 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 को लागू किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्रभावी किया गया है।

3- अतएव उक्त नियमावली की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021 की प्रति।

भवदीय,
20.10.2021

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

अध्याय—ग्यारह
शास्ति एवं स्थलीय जुर्माना

46—स्थलीय जुर्माना :

(क) कूड़ा-कचरा जनित होने और लोक उपताप की स्थिति होने के विषयगत इस नियमावली के उल्लंघन पर अनुसूची दो के अनुसार उपताप संसूचक अथवा कोई कर्मचारी/अभिकर्ता/प्रवर्तन कार्यबल के सदस्य और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को स्थलीय जुर्माना उद्ग्रहीत करने की शक्ति होगी;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर जुर्माना नहीं दिये जाने की दशा में वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन अभियोजित किये जाने के लिए दायी होगा/होगी;

47—इस नियमावली के उल्लंघन पर उद्ग्रहीत शुल्क,—

(क) जो कोई इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा इस नियमावली के अधीन किये गये किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुसूची—दो में यथा वर्णित जुर्माना का संदाय करने के लिये दायी होगा। इस नियमावली के क्रम में अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना किसी अन्य विधि अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निदेशों/जुर्माने के प्राविधानों के अतिरिक्त होगा;

(ख) प्रशमनीय प्रभार—इस नियमावली के उपबंधों को भंग करते रहने की दशा में प्रतिदिन व्यतिक्रम के लिये समान धनराशि का शुल्क अथवा प्रतिदिन 100 रुपये, जो भी अधिक हो, मूल जुर्माने के अतिरिक्त उद्ग्रहीत किया जायेगा;

(ग) उपरोक्त के अनुपालन हेतु किसी सफाई कर्मी या पर्यवेक्षक को यदि समुचित उपकरण और संसाधन नहीं दिये गये हैं तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सफाईकर्मी एवं पर्यवेक्षक इस नियमावली की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर उपकरण आदि की अपनी मांग नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी के समक्ष रखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय आवश्यक उपकरण मांग प्राप्त होने के यथा संभव 30 दिन की अवधि में उपलब्ध कराएगा;

(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकायों के कोई कर्मचारी, किसी संग्रहण या परिवहन स्थल पर पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को मिश्रित करते हैं या विनिर्दिष्ट समय सीमा के दौरान ठोस अपशिष्ट को उठाने में विफल रहते हैं अथवा अन्यथा इस नियमावली और एस.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध शास्तियों, अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, वेतनों से कटौतियों सहित समुचित कार्यवाही करनी होगी;

(ङ) यदि कोई अभिकर्ता एस.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 और या इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरीय स्थानीय निकाय के पास यह शक्ति होगी कि वह अभिकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यवाही करे,—

(एक) अभिकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त शास्ति अधिरोपित करना;

(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के साथ संविदा या प्रबंधन को समाप्त करना जिसमें रियायत करार को रद्द किया जाना सम्मिलित है;

(तीन) इस नियमावली, एस.डब्ल्यू.एम. नियम और/या लागू विनियमावली के अधीन कोई ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन या प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित करने हेतु किसी लाइसेंस को निलंबित किया जाना या प्रतिसंहत किया जाना;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय, यथा स्थिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए इस नियमावली के अधीन किसी कार्रवाई के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के अधीन समुचित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(छ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा और उसकी ओर से स्थलीय जुर्मानों और शुल्कों के रूप में संग्रहीत समस्त धनराशियों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन निधियों के लिए अनुरक्षित किसी पृथक् बैंक खाता में अन्तरित की जायेगी। ये धनराशियाँ इस नियमावली के अधीन ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय की लागतों हेतु ही प्रयुक्त की जायेंगी;

(ज) शास्ति/स्थलीय जुमाने मुख्यतः इस नियमावली में किये गये उपबंधों को प्रवर्तित करने हेतु आशयित हैं और इस प्रकार इसका वाचन राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य विद्यमान नियमों/अधिनियमों/उपबंधों के अतिरिक्त किया जायेगा;

अध्याय-बारह

प्रकीर्ण

48-सरकारी विभागों/निकायों के साथ समन्वय,-

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों विभागों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना होगा;

(2) क्रियान्वयन का पुनरीक्षण-नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा मासिक रूप से अनुश्रवण, मूल्यांकन और दक्षतामापन (बेंचमार्किंग) हेतु सत्यापित किये जाने योग्य लक्ष्य को निरूपित किया जायेगा, जिन्हें पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट/जिला एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा;

(3) नियमों का पुनरीक्षण नगर विकास विभाग द्वारा किसी मामले में, जैसा और जब आवश्यक हो, यदि इस नियमावली के उपबंधों में कोई संशोधन या उनका अद्यतनीकरण किया जाना अपेक्षित हो तो तदनुसार पुनरीक्षण और निर्धारण किया जायेगा। पुनरीक्षण व निर्धारण प्रत्येक 03 वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार उसके पहले भी किया जायेगा;

(4) कठिनाइयां दूर करने की शक्ति-यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो नगर विकास विभाग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध करेगा या ऐसे निदेश देगा, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो;

(5) निरसन और व्यावृत्ति-सुसंगत नियमावली के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाई के होते हुए भी उक्त नियमावली से पूर्व में कृत या उपयुक्त किसी बात या पूर्व में अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या तत्सम्बन्ध में किसी उपाय या कार्यवाही या किसी ऋण शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग के किसी निर्माण या उससे निम्नित, या पूर्व में स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, प्रवर्तन या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;

आज्ञा से

डा० रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव

अनूसूची - एक

अपशिष्ट का वर्गीकरण

अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा,-

- (1) "राख" में, काष्ठ, कोयला, काष्ठ कोयला, कोक और गृहों तथा संस्थाओं में खाना पकाने तथा गर्म करने हेतु प्रयुक्त अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित होते हैं। इसमें बारीक पाउडरनुमा अपशिष्ट, अंगार और खंगर भी सम्मिलित होते हैं, जो प्रायः धातु और कांच के छोटे-छोटे टुकड़ों से मिश्रित होते हैं;
- (2) "जैव-नाशित अपशिष्ट/आर्द्र अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसी किन्हीं कार्बनिक सामग्रियों के अपशिष्ट से है जो किसी युवित-युक्त समयावधि के भीतर सूक्ष्म-जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित किये जा सकते हैं और जिनमें ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे यथा-चाय पत्तियां अण्डों के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके, पका हुआ खाद्य पदार्थ थाली अपशिष्ट, मांस और अस्थियां, उद्यान और पत्तियों का कूड़ा-कचरा फूल, पशु-मल, दूषित कागज, घर की सफाई के बाद धूल, नारियल के छिलके, राख आदि;
- (3) "जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट" में ऐसा कोई अपशिष्ट सम्मिलित होगा, जो मानव या पशु रोग-निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या तत्सम्बन्धी क्रिया-कलापों के शोध में या जैव नाशित सामग्रियों के निर्माण या परीक्षण

में या स्वास्थ्य शिविरों में और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में या जैसा कि तत्सम्बन्धी किसी संशोधन में अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप में परिभाषित हो, उत्सर्जित हो;

- (4) "उद्यान और उद्यान कृषि थोक अपशिष्ट" में सार्वजनिक या निजी पार्कों, उद्यानों, यातायात स्थलों, बंगलों, थोक उत्सर्जकों यथा आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, समितियों या उद्यान या वृक्ष युक्त परिसर वाले संस्थाओं के थोक जैव नाशित अपशिष्ट सम्मिलित हैं और जिसमें घास कतरन, खरपतवार, काष्ठवत, ब्राउन, कार्बन युक्त सामग्रियाँ यथा छंटाई, शाखायें, टहनियाँ, काष्ठ कतरन, पुआल या सूखी पत्तियाँ और वृक्ष की कतरनें, जिन्हें दैनिक जैव-नाशित अपशिष्ट द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है, सम्मिलित हैं;
- (5) "बड़े/भारी आकार अपशिष्ट" में वाणिज्यिक/आवासीय अपशिष्ट सम्मिलित हैं जो अपनी मात्रा, रूपरेखा, आकार या परिमाण के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण की राय में, नगरीय स्थानीयनिकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये दैनिक द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं हैं अर्थात् फर्नीचर, टी0वी0 तथा फ्रीज आदि;
- (6) "ज्वलनशील अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अनाशित, गैर पुनर्चक्रिय, गैर पुनः उपभोग्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है, जिसका कैलोरिक मान न्यूनतम 1500 किलो कैलोरी प्रति किलो ग्राम से अधिक हो जिसमें क्लोरिनेटेड सामग्रियाँ यथा प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि सम्मिलित न हो;
- (7) "वाणिज्यिक अपशिष्ट" में कार्यालयों, थोक और फुटकर स्टोर्स, भोजनालयों, बाजारों, भण्डारों और किन्हीं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों में संलग्न अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित हैं। इन अपशिष्टों में कूड़ा-कचरा और कूड़ा-करकट सम्मिलित है;
- (8) "वाणिज्यिक या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" में परिसंकटमय रसायनों से संदूषित अपशिष्ट और घरेलू तथा वैयक्तिक स्तर पर उत्सर्जित संक्रामक अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे,—
 - (क) घरेलू मार्जक
 - अपवृषक चूर्ण
 - अमोनिया और अमोनिया-आधारित मार्जक
 - क्लोरीन ब्लीच
 - नाली खोलने वाले पदार्थ
 - (ख) मोटरवाहन से संबंधित उत्पाद:—
 - ब्रेक और ट्रांसमिशन फ्लूइड
 - कार की बैटरियाँ
 - ईंधन—जैसे प्रयुक्त हो चुका डीजल, केरोसीन और गैसोलीन
 - व्यर्थ हो चुका इंजन ऑयल और लुब्रीकेटिंग ऑयल
 - ऑयल फिल्टर और कार केयर उत्पाद एवं उपभोग्य उत्पाद
 - (ग) पेंट उत्पाद
 - इन्वैमल
 - तेल आधारित, लेटेक्स या जल आधारित पेंट
 - पेंट सॉल्वेंट्स और थिनर्स
 - तेल, चिपकने वाले पदार्थ और उनके खाली डिब्बे
 - (घ) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट परिव्यक्त और पुरानी दवाइयाँ और साइटोटोक्सिक दवाइयाँ, तरल पदार्थ और गोलिएँ, इंजेक्शन, सूइयाँ, सिरिंज, छुरियाँ, ब्लेड्स और दोनों प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार उपकरणों सहित पंचर या घाव करने वाले धारदार उपकरण, थर्मामीटर और द्रव्य सहित मर्करी रक्त तथा शारीरिक द्रव्यों से संदूषित वस्तुएं यथा रुई, पट्टियाँ, दूषित प्लास्टर प्रक्षेप, अस्तर, चादर या रक्त से संदूषित अन्य सामग्री, द्यूब्स नाल-शलाकाएं आई0वी0 आदि सम्मिलित हैं;
 - (ङ) विविध उत्पाद :
 - सौन्दर्य प्रसाधन सम्बन्धी उत्पाद

- बैटरी और बटन सेल्स
 - फोटोग्राफिक ऑडियो/विडियो टेप और उनके रखने वाले डिब्बे और रासायनिक
 - ट्वायलेट साफ करने के लिए प्रयुक्त एसिड
 - कीटनाशक, शाकनाशक और चींटी, काकरोच और मच्छर मारने वाले रसायन और उनके खाली डिब्बे।
 - रासायनिक खाद
 - हल्के बल्ब, ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प्स (सी0एफ0एल0)
 - एयरोसोल के डिब्बे
 - स्टायरोफोम और साफ्ट फोम पैकेजिंग
- (9) "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट" का तात्पर्य संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई क्रियाकलापों, खुदाईकरण या गाद हटाये जाने संबंधी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाले अपशिष्ट से है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ संरचनाओं का तात्पर्य सभी प्रकार के भवनों (दोनों आवासीय और गैर आवासीय), उपयोगिताओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मानव निर्मित किसी अन्य प्रकार की संरचना से है। निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में ईंट, कंक्रीट, मलबा और अन्य चुनाई संबंधी सामग्रियां, मिट्टी, वृक्ष, किसी प्रकार की वनस्पति, चट्टान, काष्ठ (जिसमें चित्रित, उपचारित जड़ित काष्ठ और काष्ठ उत्पाद सम्मिलित हैं), भू-सफाई अपशिष्ट, भित्ति आवरण, प्लास्टर, शुष्क भित्ति प्लंबिंग के साज-समान, गैर-परिसंकटमय विद्युत्तरोधन, छतकरण, जलरोधी सामग्रियाँ और अन्य छतावरण, डामर, खड़ंगा, प्लास्टिक, कागज, जिप्सम बोर्ड, विद्युत्त वायरिंग और संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त गैर परिसंकटमय सामग्रियों, पाइपों, स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य गैर परिसंकटमय धातुओं से अन्तर्विष्ट संघटक सम्मिलित हैं। किन्तु निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम-2016 के अधीन यथा परिभाषित कोई परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथा परिभाषित ई-अपशिष्ट सम्मिलित है को सम्मिलित नहीं किया जायेगा भले ही वे संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई संबंधी क्रियाकलापों के फलस्वरूप जनित हुये हों;
- (10) "मृत पशुओं" में ऐसे पशुओं की काया और अस्थियां सम्मिलित होंगे जो प्राकृतिक रूप में मृत हो जाते हैं या जिनका आकस्मिक रूप में वध कर दिया जाता है। इसमें वधशालाओं, कसाईबाड़ों और मांस बाजारों आदि के शव और पशुअंग सम्मिलित नहीं हैं;
- (11) "वधशाला/मांस/चिकन अपशिष्ट" में वधशालाओं, मांस, मत्स्य और चिकन स्टॉलों तथा बाजारों से जनित अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (12) "ई-अपशिष्ट" का तात्पर्य उत्सर्जनकर्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप में उत्सर्जित और साथ ही साथ विनिर्माण, निर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं से कूड़ा-करकट के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण सम्बन्धी अपशिष्ट से है, जो समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यथा परिभाषित हैं;
- (13) "परिसंकटमय अपशिष्टों" में ऐसे कोई अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनसे अकेले या अन्य अपशिष्टों या द्रव्यों के सम्पर्क में आने पर उनकी अपनी भौतिक, रासायनिक, प्रतिकारात्मक विष जनित, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी विशेषताओं में से किसी विशेषता के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा उत्पन्न हो या उत्पन्न होना संभाव्य हो और इनमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 या उसके किसी संशोधन में परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट सम्मिलित है;
- (14) "घरेलू/आवासीय अपशिष्ट" में घरेलू क्रिया-कलापों के फलस्वरूप एकल और बहु परिवार वाली इकाइयों से उत्सर्जित अपशिष्ट अथवा घरेलू पारिवारिक क्रियाकलापों यथा खाना बनाना, सफाई मरम्मत शिकरा, सजावट, रिक्त पात्र, पैकेजिंग, पहनावा पुस्तक, लेख-पत्र, समाचार-पत्र, उपस्कर, टेलीवीजन, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि उत्पादों से सम्बन्धित अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;

- (15) "औद्योगिक अपशिष्ट" में उद्योग के लिये अनोखे विशाल श्रेणी के पदार्थों से युक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं और औद्योगिक संक्रियाओं से निकली ठोस सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें लघु औद्योगिक संयंत्रों के ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका भू-भराई केन्द्रों पर प्रायः निस्तारित किये जाने वाले संयंत्रों की राख भी सम्मिलित होंगे;
- (16) "अक्रिय अपशिष्ट" में ऐसा कोई ठोस अपशिष्ट अथवा अवशेष सम्मिलित है जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशिष्टताएं उसे सेनेटरी लैंडफिल हेतु उपयुक्त बनाता है;
- (17) "संस्थागत अपशिष्ट" में ऐसी संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों सार्वजनिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और शोध संगठनों आदि से उद्भूत होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
- (18) "तरल अपशिष्ट" में मल वहन तरल अपशिष्ट और गाढ़ा मल अपशिष्ट सम्मिलित होगा;
- (19) "नगर पालिका अपशिष्ट" में नगर पालिका प्राधिकरण के क्रियाकलापों और उसकी सेवाओं के फलस्वरूप होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित हैं और इनमें सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने वाले अपशिष्ट यथा पथ अपशिष्ट, मृत पशु तथा बाजार अपशिष्ट भी सम्मिलित हैं;
- (20) "जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट" का तात्पर्य जैव अनाशित सामग्री से निर्मित और सूक्ष्म जीवों या जैविकीय प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समयावधि के भीतर या किसी प्रवर्तित विधि द्वारा यथा विहित अवधि के भीतर सरलतर स्थायी योगिकों के रूप में क्षय न होने योग्य, लम्बी समयावधि तक पर्यावरण में रहने वाले कूड़ा या अपशिष्ट से है;
- (21) "प्लास्टिक अपशिष्ट" का तात्पर्य प्लास्टिक से निर्मित ऐसे किसी उत्पाद से है जिसे उपयोग करने के पश्चात् या जिसकी वांछित आयु समाप्त होने के पश्चात् परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 में विहित किया गया हो;
- (22) "पूजा सामग्री" का तात्पर्य किसी जैव नाशित या जैव अनाशित सामग्री, मूर्ति या किसी संस्कृति या धर्म पूजा में प्रयुक्त सामग्रियों से है;
- (23) "पुनर्चक्रीय अपशिष्ट" का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट सामग्री से है जो नैसर्गिक रूप में पुनर्चक्रीय हो जिसमें निम्नलिखित अपशिष्ट सम्मिलित हैं किन्तु वे वहीं तक सम्मिलित नहीं हैं;
 - (क) कागज उत्पाद—समाचार-पत्र, कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट, लेख-पत्र, लिफाफे, कार पार्क कूपन, विवरणिकायें, पम्पलेट, मैगजीन, पुस्तकें, दफती और कागज पैकेज (यथा धान्य डिब्बे और पेय पेटियाँ) खाद्य कागज आवरण और अन्य कागज उत्पाद;
 - (ख) धातु उत्पाद—धातु निर्मित डिब्बे या पात्र यथा मृदु पेय डिब्बे, दुग्ध पाउडर डिब्बे तथा खाद्यान्न डिब्बे;
 - (ग) प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद—प्लास्टिक निर्मित बोतल या पात्र यथा प्रक्षालक पात्र, दुग्ध पात्र, मिनरल वाटर बोतले, मृदु पेय बोतलें, जूस बोतलें, प्लास्टिक पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद किन्तु जिनमें स्टाइरोफोम, डिस्पोजेबुल कटलरीज, क्राकरी और पोलिथीन कैरीबैग सम्मिलित नहीं हैं;
 - (घ) कांच उत्पाद—जार, बोतल, खिड़की कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, सेरामिक तथा मत्स्य टैंक, जिनमें लाइट बल्ब सम्मिलित नहीं हैं;
 - (ङ) कपड़े, चर्म, रेक्सीन;
 - (च) काष्ठ उत्पाद;
- (24) "अवशिष्ट अपशिष्ट" का तात्पर्य सामग्री प्रति प्राप्ति, ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपचार या प्रसंस्करण सुविधा स्थलों, जो पुनर्चक्रण या अग्रतर प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त न हों किन्तु जो भू-भराई हेतु उपयुक्त हों, से उत्सर्जित अपशिष्टों तथा कूड़ा-करकटों से है और वे उनमें सम्मिलित हैं;
- (25) "मल अपशिष्ट" में मल प्रक्षालन नैफ्किन, तौलिया, फाहा, कन्डोम, डायपर्स तथा मलरोधी पैड/चादर संबंधी अपशिष्ट तथा अन्य समान अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (26) "ठोस अपशिष्ट" का तात्पर्य मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक/आवासीय संस्थागत अपशिष्ट, खानपान तथा बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, पथ सफाई संबंधी अपशिष्ट, भू-पृष्ठ स्थित नालियों से निकाले गये या संग्रहीत किये गये गाद, उद्यान अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट और औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को अपवर्जित करते हुए उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर जनित या लाये गये अपशिष्ट सहित ऐसे ठोस या अर्द्ध ठोस अपशिष्ट से है, जिसमें वे सम्मिलित हैं;
- (27) "पथ सफाई" में ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे जो पथों, पगडण्डियों, वीथिकाओं, पाकों और रिक्त भू-भागों से संग्रहीत हों;

अनुसूची दो

अपराध/उल्लंघन शास्ति/स्थलीय जुर्माना शुल्क

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
कूड़ा फैलाने/उपताप करने/स्वच्छ आंगन उपताप करने के प्रत्येक दृष्टांत/कृत्य हेतु शास्ति/स्थलीय जुर्माना निम्नलिखित रूप में उद्ग्रहीत किया जायेगा:-					
1	किसी पात्र या आधान में जो की इस हेतु विनिर्दिष्ट किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में ऐसे विनिर्दिष्ट रूप से संसूचित पात्र/स्थल जोकि इस हेतु रखा गया हो अथवा विनिर्दिष्ट हो के अतिरिक्त किसी अन्य सार्वजनिक स्थल या निजी स्थल पर अपशिष्ट क्षेपित करना, निक्षेपित करना, उन्मोचित करना, उसे फैलाना या बेकार छोड़ना अथवा ऐसे अपशिष्ट को क्षेपित, उन्मोचित, बिखेरित या मोचित कराना या कराने को अनुमन्य होने देना। इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं हैं:-				
क	कोई अध्यासित खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
ख	किसी जल स्रोत के किनारे पर या फिर जलीय प्रणाली में यथा-नदी, जल मार्ग, सीवर, झंझा जल नाले	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	(इसमें पूजा सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकना, सम्मिलित है।)				
ग	सार्वजनिक पथ या निजी पथ अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर जो किसी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर इत्यादि के पास हो	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
घ	शैक्षणिक संस्थाएँ, चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी संस्थाएँ, धार्मिक स्थल, विरासतीय इमारतें	750 रुपये	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये
2	जान-बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को इस प्रकार रखना, जमा करना अथवा, रखने/जमा करने देना जिससे वह 24 घंटे से अधिक समय तक उक्त परिसर में जमा रहे।	500 रुपये	400 रुपये	300 रुपये	200 रुपये
3	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर वाहन चलाते समय या फिर खड़े वाहन से या फिर किसी वाहन से यात्रा करते समय किसी सार्वजनिक या निजी सड़क या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर में अपशिष्ट फेंकना/डालना। किसी ऐसे वाहन का चालक अपने वाहन के किसी भी यात्री को थूकने या फिर इस तरह से अपशिष्ट फेंकने या जमा करने नहीं देगा।	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
4	क प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री में लिप्त होना जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित हैं।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।			
	ख प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित हैं।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।			
5	थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो।	250 रुपये	150 रुपये	100 रुपये	50 रुपये
6	किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या दहन करने या मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
4	क प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री में लिप्त होना जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित है।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।			
	ख प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित है।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।			
5	थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो।	250 रुपये	150 रुपये	100 रुपये	50 रुपये
6	किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या दहन करने या मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	किसी मार्ग के किनारे, एकत्र स्थलों या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण करना। यह प्रतिषेध समस्त प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होगा, जिनमें सफाई कर्मचारी या नगरीय स्थानीय निकाय के अन्य कर्मचारी, संविदाकर्मचारी, अपशिष्ट उत्पादक या सड़क, पथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता कार्य में संलग्न कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है।				
7	बिना ढंके (अनकवर्ड) हुए किसी ट्रक या अन्य किसी वाहन को चलाना या उसको एक स्थान से दुसरे स्थान पे ले जाना जबकि उसमें अपशिष्ट/कूड़ा से भरा हो	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये
8	अपने पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करने देकर सड़कों/पार्कों/सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा करना। टिप्पणी: किसी पालतू जानवर द्वारा खुले मेंमल त्याग किये जाने की स्थिति में स्वामी मल को अपने घर ले जायेगा ताकि इसका निस्तारण मल वहन के माध्यम से बहाकर किया जा सके अन्यथा शास्ति उद्ग्रहीत किया जायेगा।	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
9	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या किसी प्रकार के अपशिष्ट को झंझा-जल नालियों, सड़क के फुटपाथ, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित खुले मैदानों और/या सार्वजनिक	3000 रुपये	2500 रुपये	1500 रुपये	1000 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	मार्गों के किनारे जमा करना या फैलाना				
अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा पृथक्करण, परिदान और संग्रहण किये जाने संबंधी उपबंध					
10	अपृथक्कृत रूप से शुष्क, आर्द्र और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का परिदान किया जाना/सौंपा जाना और अपशिष्ट पृथक डिब्बों में न रखना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये प्रति माह विहित प्रयोक्ता शुल्क के अतिरिक्त शास्ति की धनराशि प्रति माह प्रभारित की जायेगी)	200 रुपये प्रतिमाह	150 रुपये प्रतिमाह	100 रुपये प्रतिमाह	50 रुपये प्रतिमाह
11	निर्माण एवं विध्वंस थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपृथक्कृत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	2000 रुपये	1200 रुपये	750 रुपये	500 रुपये
12	अपृथक्कृत उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल और कतरनों का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु)	200 रुपये	100 रुपये	75 रुपये	50 रुपये
13	अपृथक्कृत मत्स्य, कुक्कुट, और मांस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शास्ति की धनराशि प्रभारित की जायेगी।)	750 रुपये प्रतिमाह	500 रुपये प्रतिमाह	300 रुपये प्रतिमाह	150 रुपये प्रतिमाह
14	किसी थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण तथा परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति सप्ताह शास्ति की धनराशि प्रभारित की जायेगी।)	1000 रुपये प्रति सप्ताह	750 रुपये प्रति सप्ताह	500 रुपये प्रति सप्ताह	350 रुपये प्रति सप्ताह
15	नगरीय स्थानीय निकाय में बिना रजिस्ट्रीकरण और बिना प्राधिकार	500 रुपये प्रति	400 रुपये प्रति	300 रुपये प्रति	200 रुपये प्रति

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	के निकायों में अपशिष्ट संग्रहण किया जाना।	अपराध पर	अपराध पर	अपराध पर	अपराध पर
नालों/मल नालियों/सोक पिट से संबंधित उपबंध					
16	निजी नालियों/सीवर लाइनों से घरेलू मल/मल जल/बहिष्प्राव को किसी झंझा-जल नालियों, मार्गों, खुले मैदान, जल स्रोतों, जलमार्गों, कृषि भूमि, अथवा अन्य किन्हीं गैर अभिहित अवस्थानों पर प्रवाहित किया जाना या प्रवाहित किये जाने देना।	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
17	किसी ऐसे सामग्री को नाली के प्रवाह में आने दिया जाना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित किया जाना	500 रुपये	300 रुपये	200 रुपये	100 रुपये
18	खुले नालों और/या मैनहोलों में किसी ऐसी सामग्री को जमा किया जाना या जमा किये जाने देना जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा/जाम होने की स्थिति बने। यह उपबंध नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए भी लागू है जो खुले नालों में मार्गों की सफाई से निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, अपशिष्ट उत्सर्जक के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट आदि को जमा करते हैं।	1000 रुपये	750 रुपये	500 रुपये	350 रुपये
19	औद्योगिक बहिष्प्राव अथवा विशेष रूप से किसी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, वधशालाओं और मांस बाजार, दुग्धशाला और पशुपालन स्थल, कर्मशाला या गैराज के	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	क्रियाकलाप की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक बहिष्कारों का आवश्यक विहित उपचार किये बिना उन्हें सार्वजनिक मल नालों में बहाना या बहाने देना।				
20	किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/ अभिकर्ता द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गंदे नाले, और मलकुंड में हाथ से कार्य करने देना	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
21	अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में जल जमाव/अपशिष्ट क्षेपण /अस्वास्थ्यकर स्थितियों / अस्वच्छ स्थितियों/दरार आदि होने देना, जिससे रोगवाहक विषाणु प्रजनित हो सकें अथवा उनके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हों	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
	अन्य विनिर्दिष्ट अपराध				
22	विक्रय स्थल पर किसी विक्रेता /फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैव नाशित और अन्य अपशिष्ट रखा जाना	25 रुपये प्रतिदिन	20 रुपये प्रतिदिन	15 रुपये प्रतिदिन	10 रुपये प्रतिदिन
23	यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमावड़ा करता है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है।	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी
24	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, परिवार, आवासीय सोसाइटियां	1000 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	750 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	250 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	नगर पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	क्रियाकलाप की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक बहिस्त्रावों का आवश्यक विहित उपचार किये बिना उन्हें सार्वजनिक मल नालों में बहाना या बहाने देना।				
20	किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/ अभिकर्ता द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गंदे नाले, और मलकुंड में हाथ से कार्य करने देना	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
21	अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में जल जमाव/अपशिष्ट क्षेपण/अस्वास्थ्यकर स्थितियों/अस्वच्छ स्थितियों/दरार आदि होने देना, जिससे रोगवाहक विषाणु प्रजनित हो सकें अथवा उनके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हों	5000 रुपये	4000 रुपये	3000 रुपये	2000 रुपये
अन्य विनिर्दिष्ट अपराध					
22	विक्रय स्थल पर किसी विक्रेता/फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैव नाशित और अन्य अपशिष्ट रखा जाना	25 रुपये प्रतिदिन	20 रुपये प्रतिदिन	15 रुपये प्रतिदिन	10 रुपये प्रतिदिन
23	यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमावड़ा करता है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है।	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी	स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी
24	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, परिवार, आवासीय सोसाइटियां	1000 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	750 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय	250 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता

	विनिर्दिष्ट अपराध	6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क	पंचायत क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
	/कालोनियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जक, यदि नगर निकाय की सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	में आयी लागत
25	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के अंचल और सीमांत ग्राम/ग्राम पंचायतें यदि नगरीय सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं।	1000 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	750 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+ नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत	250 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत
26	नगरीय स्थानीय निकाय अथवा इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा स्थापित उपकरण, वाहनों, कंटेनरों डिब्बों, हाथ-गाड़ी, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा सहित किसी अवसंरचना को क्षतिग्रस्त करना या बिना अनुज्ञा के उन्हें हटाना	2000 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	1500 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	1000 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत	500 रुपये + क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत
27	नदियों/जलाशयों/नालों/जल ग्रहण क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण	3000 रुपये	2000 रुपये	1000 रुपये	500 रुपये
28	यदि भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला/वाले कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बे उपलब्ध नहीं कराते हैं।	2000 रुपये	1500 रुपये	1200 रुपये	1000 रुपये

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव।